प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022
प्र.इ.रि.स. 264/2022 दिनांक 30/6/2022

2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018 व 120 बी भादस
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या 597 समय 6.40 PM.
(ब) अपराध के घटने का दिन व समयः बुधवार दिनांक 29.06.22 समय 11.42 एएम एवं 12.33 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 28.06.2022

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 540 किलो मीटर
(ब) पता : माही होटल न्यु बस स्टेण्ड एवं रिजर्व पुलिस लाईन के सामने शहर बांसवाडा
........................बीट संख्या ....जरायमदेही संख्या..................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :

(अ) नाम :	– श्री मोहित पटेल
(ब) पिता	– श्री मोहन लाल पटेल
(स) जन्म तिथि/वर्ष	– 30 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता :	– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या	–...................... जारी होने की तिथि..................................
जारी होने की जगह.........	–..
(र) व्यवसाय	– ठेकेदारी
(छ) पता	– छोटी सरवा तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1– श्री अभय धाकड़ पिता श्री रंगलाल धाकड उम्र 58 वर्ष जाति जैन निवासी 9 न्यु अशोक नगर थाना सुखेर जिला उदयपुर हाल अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भूं–सरक्षण विभाग कुशलगढ़ जिला बांसवाडा।
2– श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा पिता श्री बन्धु विश्वकर्मा उम्र 59 वर्ष जाति विश्वकर्मा निवासी बाहुबली कोलोनी आदिनाथ नगर रोड़ नम्बर 2 बांसवाडा हाल सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भूं–सरक्षण विभाग कुशलगढ़ जिला बांसवाडा।

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : – 45000+ 45000 कुल– 90,000/– रूपये

11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :–

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (अगर अपेक्षित हो तो अतिक्ति पन्ना लगावे)–

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बांसवाडा।

विषयः— बिलों के भुगतान एवं जमा सिक्योरेटी राशि दिलाने के एवज में रिश्वत मांगने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं मोहित पटेल पिता श्री मोहन लालजी पटेल निवासी छोटी सरवा तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा का रहने वाला हूं। संतोष इन्टरप्राइजेज छोटी सरवा के नाम से मेरी फर्म होकर मैं उसका प्रोपराइटर हुं। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग बांसवाडा के कार्यालय के अधीन दो एनीकट ग्राम पंचायत सरोना के ग्राम सरोना व ग्राम गोकुलपाडा पंचायत समिति कुशलगढ जिला बांसवाडा में निर्माण कार्य किया जाकर एनीकट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2020–21 में उक्त एनीकट निर्माण हेतु जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग बांसवाडा द्वारा 24 लाख का वर्क ऑर्डर मेरी फर्म को जारी किया गया था उक्त कार्य मैने 20.05 प्रतिशत बिलो में लिया था। उक्त एनीकट निर्माण पेटे 15,06,000 रुपये का भुगतान आज से करीब पांच दिन पूर्व मेरी फर्म के बैंक खाते में प्राप्त हो चुका है। उक्त कार्य पेटे विभाग में मेरी फर्म के 3,24,000 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा पड़ी है। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग बांसवाडा के अधिक्षण अभियंता श्री व्यास, अधिशाषी अभियंता श्री अभय धाकड, सहायक अभियंता श्री विश्वकर्मा एवं कार्यालय के दो लिपिक एवं एक लेखाधिकारी आपस में मिलीभगत कर एनीकटों के भुगतान करने एवं जमा सिक्योरिटी राशि रिलीज करने के लिये कमीशन (रिश्वत राशि) की मांग कर रहे है। अधीक्षण अभियंता के लिये 1 या 1.50 प्रतिशत, अधिशाषी अभियंता के लिये 2.50 या 3 प्रतिशत एवं सहायक अभियंता के लिये 2 प्रतिशत एवं दो लिपिक एवं एक एकाउन्टेट(प्रति व्यक्ति 0.50 प्रतिशत) के लिये 1.50 प्रतिशत कमीशन (रिश्वत राशि) की मांग की जा रही है। श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता स्वंय के लिये एवं अधीक्षण अभियंता के लिये एवं श्री अभय धाकड़ अधिशाषी अभियंता स्वंय के लिये तथा रागिनी लिपिक स्वंय एवं एक लिपिक व लेखाधिकारी के लिये रिश्वत की मांग की जा रही है। रिश्वत राशि के संबध में जरिये मोबाईल व वॉट्सअप से सम्पर्क कर कमीशन राशि की मांग की जा रही है। मैं उन सभी अधिकारी/कर्मचारियों को रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। रिपोर्ट पेश कर रहा हूं आवश्यक कार्यवाही करावें।

दिनांक 28.06.2022

सही/—
(मोहित पटेल)
मो0न0 — 9828285018

कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा

दिनांक 28.06.2022 समय 11.15 एएम

इस समय परिवादी श्री मोहित पटेल पिता श्री मोहन लाल पटेल उम्र 30 वर्ष जाति कलाल निवासी छोटी सरवा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाडा ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। परिवादी से मजिद पूछताछ पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मैने स्वंय हस्तलिपि से लिखा है और बताया कि मेरी संतोष इन्टरप्राईजेज छोटी सरवा के नाम से फर्म है जिसका मैं स्वंय प्रोपराईटर हूं। वर्ष 2020–21 में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग बांसवाडा से ग्राम पंचायत सरोना के ग्राम सरोना व ग्राम गोकुलपाडा में एनीकट निर्माण हेतु मेरी फर्म को 24 लाख रुपये का वर्क ऑर्डर जारी किया गया उक्त कार्य मैने 20.05 प्रतिशत बिलों में लिया गया था। एनीकट का निर्माण कार्य पूर्ण कर बिलों के भुगतान विभाग द्वारा आज से करीब पांच दिन पूर्व मेरी फर्म के बैंक खाते में 15,06,000 रुपये का भुगतान किया गया है। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग बांसवाडा में मेरी फर्म की 3,24,000 रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा है। श्री व्यास अधीक्षण अभियंता, श्री अभय धाकड अधीशाषी अभियंता, श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता एवं कार्यालय के दो लिपिक व लेखाधिकारी आपस में मिलीभगत कर प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार प्रतिशत के रुप में कमीशन राशि(रिश्वत राशि) की मांग की जा रही है। रिश्वत राशि की वार्तालाप श्री अभय धाकड अधिशाषी अभियंता, श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता एवं रागिनी लिपिक द्वारा की जा रही है। पूछताछ पर यह भी बताया कि उक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी से किसी प्रकार की उधारी, लेनदेन बाकियात नही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया गया तथा श्री राजेश कुमार कानि. को मेरे कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी एवं राजेश कुमार कानि. का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी को ब्यूरो की डिजीटल टेप रिकोर्डर के रख रखाव एवं उसके संचलान की विधी पूर्णतया समझाई जाकर टेप रिकोर्डर सुपूर्द किया गया तथा श्री राजेश कुमार कानि. को परिवादी के हमराह जाकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही कराने हेतु मुनासिब हिदायत की गई। समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री मोहित पटेल को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर के साथ रिश्वत मांग सत्यापन के लिये परिवादी के हमराह श्री राजेश कुमार कानि. को ब्यूरो इकाई बांसवाडा से कार्यालय जिला कलक्टर बांसवाडा के परिसर में स्थित कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग बांसवाडा के लिये मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 04.25 पीएम पर श्री राजेश कुमार कानि उसके हमराह परिवादी श्री मोहित पटेल ब्यूरो इकाई बांसवाडा हाजिर आये। परिवादी श्री मोहित पटेल ने डिजीटल टेप रिकोर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रस्तुत कर बताया कि ब्यूरो इकाई बांसवाडा से

रवाना शुदा कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग बांसवाडा पहूंचा तो वहां पर श्री अभय धाकड अधिशाषी अभियंता उपस्थित मिले तो उनके द्वारा मेरे बिलों के भुगतान के एवज में 3 प्रतिशत के हिसाब से 45,000 रुपये रिश्वत राशि स्वंय के लिये मांग की गई उक्त वार्तालाप को मैने ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड कर लिया है। इसके बाद कुछ देर इन्तजार के बाद श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो कुछ देर बाद ऑफिस आने हेतु कहा गया। इसी दौरान कार्यालय में उपस्थित रेशमा लिपिक से वार्तालाप की तो उसके द्वारा खुलकर रिश्वत की मांग नही की गई। मांग सत्यापन के दौरान ही श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता द्वारा जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो कार्यालय से बाहर निकला तो सहायक अभियंता उपस्थित मिले उन्होने कार्यालय में बात नही कर उनकी कार में बैठाकर राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा की तरफ होकर मोहन कोलोनी चोराया घुमाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर बांसवाडा के पीछे गेट से होते हुए उनके कार्यालय के सामने कार को खडाकर वार्तालाप कर रिश्वत की मांग की गई है। श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता द्वारा 2 प्रतिशत एवं अधीक्षण अभियंता श्री व्यास के लिये 1 प्रतिशत इस प्रकार 30000 रुपये एवं 15000 रुपये कुल 45000 रुपये रिश्वत की मांग की गई जिसे मैने ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड कर लिया है। मांग सत्यापन के दौरान दोनो अधिकारी श्री अभय धाकड़ एवं श्री विश्वकर्मा द्वारा आज ही रिश्वत राशि की मांग की गई थी परन्तु मैने अभी रिश्वत राशि की व्यवस्था नही होकर कल दिनांक 29.06.2022 को देने हेतु कहा गया है। श्री राजेश कुमार कानि ने भी परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की गई। परिवादी ने यह भी बताया कि रागिनी लिपिक को कल दिनांक 29.06.2022 को रिश्वत राशि लेकर देने जाउंगा तो संभवत वह राशि की मांग करते हुए ग्रहण कर लेगी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल टेप रिकोर्डर को चलाकर सुना गया तो आरोपीगण द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। परिवादी श्री मोहित पटेल को कल दिनांक 29.06.2022 को सुबह 8.00 एएम पर रिश्वत राशि के साथ ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आने हेतु मुनासिब हिदायत के रुखसत किया गया तथा टेप रिकोर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

दिनांकः 29.06.2022 समय 08.00 एएम पर परिवादी श्री मोहित पटेल ब्यूरो इकाई बांसवाडा हाजीर आया और बताया कि रिश्वत राशि की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूं। इसी दौरान तलबिदा शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री असलम मोहम्मद हाल व्याख्याता, श्री मणीलाल यादव हाल तृतीय श्रेणी अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर बांसवाडा, श्री रईस मोहम्मद शेख हाल व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पृथ्वीगंज राजतालाब बांसवाडा एवं श्री अजिम अहमद हाल तृतीय श्रेणी अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय खांटवाडा बांसवाडा जो ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आये। समय 08.10 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने चारो स्वतंत्र गवाहानों को अपने मनतव्य से अवगत कराया तो चारो ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रुप में उपस्थित रहने हेतु अपनी--अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादी श्री मोहित पटेल व चारो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 28.06.2022 को पेश रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी श्री मोहित पटेल ने शब्द व शब्द सही होना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट पर चारो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 28.06.2022 को आरोपी श्री अभय धाकड अधिशाषी अभियंता व परिवादी श्री मोहित पटेल के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 28.06.2022 को आरोपी श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता व संदिग्ध रागिनी लिपिक तथा परिवादी श्री मोहित पटेल के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई है। डिजिटल टेप रिकोर्डर को मालखाने से निकालकर कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर उपरोक्त मौतबिरान तथा परिवादी को सुनाई गई व इनके रूबरू इस वार्ता की श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से शब्द--बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को उसके कवर में रखते हुए पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। डब सीडी को सीडी कवर में डाला गया। समय 10.10 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि परिवादी श्री मोहित पटेल से मांगने पर उसने अपने पास से उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष 500--500 रुपये के 90 नोट कुल 45000 रुपये(आरोपी अभय धाकड के लिये) व 500--500 रुपये के 90 नोट कुल 45000 रुपये (आरोपी विश्वकर्मा एवं श्री व्यास के लिये) एवं 500--500 रुपये के 45 नोट कुल 22,500 रुपये (आरोपिया रागिनी लिपिक, अन्य लिपिक व लेखाधिकारी के लिये) इस प्रकार कुल 1,22,500 रुपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। उपरोक्त समस्त नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। परिवादी श्री मोहित पटेल ने बताया कि आरोपीगण श्री अभय धाकड़ अधिशाषी अभियंता, श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता एवं रागिनी लिपिक रिश्वत राशि लिफाफे में लेगें। मालखाने से फिनोफथलीन की शिशी श्री गणेश प्रसाद हैड0 कानि0 के निकलवाई जाकर फिनॉफ्थेलीन पाउडर को उपरोक्त समस्त नोटों एवं लिफाफे के दोनों और लगवाया जाकर नोटो को अलग--अलग सफेद लिफाफे में रखा जाकर रिश्वत राशि 45000 रुपये व 45000 रुपये परिवादी श्री मोहित पटेल के पहनी हुई जीन्स के पेन्ट की आगे की दांयी व बांयी जैब में रखे गये एवं रिश्वत राशि 22,500 रुपये पेन्ट की पीछे की बांयी जैब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुये रखवाये गये तत्पश्चात् श्री राजेश कुमार कानि से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल

Lf

का रंग नही बदला। इस रंगहीन घोल में श्री गणेश प्रसाद हैड0 कानि0 की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनॉफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिकिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की हैं। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेश प्रसाद हैड0 कानि0 से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। श्री गणेश प्रसाद हैड0 कानि0 एवं श्री राजेश कुमार कानि0 के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नही मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोडकर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वती राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर हाथ फैर कर या अपने मोबाईल नम्बर से मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल करके आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने का ईशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को सुरक्षित रखवाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को श्री राजेश कुमार कानि0 से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री मोहित पटेल ने बताया कि श्री अभय धाकड अधिशाषी अभियंता का अभी कुछ देर पहले उनका फोन आया था और बताया कि वह अभी माही होटल न्यु बस स्टेण्ड के सामने बांसवाडा पर रुके हुए है और राशि लेकर होटल में ही बुलाया है। समय 11.20 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री हेरम्ब जोशी एवं श्री दिनेश सुखवाल पुलिस उप अधीक्षक, चारो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद एवं श्री करणसिंह हैड कानि, टीकाराम, पंकज, राजेश कुमार, महेशचन्द्र, सुरेश कानिगण, जितेन्द्रसिंह कानि चालक प्राईवेट कार व प्राईवेट वाहन में मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के तथा परिवादी मोहित पटेल को डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द करते हुए उसकी निजी मोटर साईकल से ब्यूरो इकाई बांसवाडा से माही होटल बांसवाडा के लिये रवाना हुए। श्री गणेश प्रसाद हैड कानि को कार्यालय में छोड़ा गया। समय 11.25 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के अपने-अपने वाहनों में माही होटल न्यु बस स्टेण्ड बांसवाडा के पास पहूंचकर परिवादी को मुनासिब हिदायत के माही होटल के लिये रवाना कर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मूकिम हुआ। समय 11.42 एएम पर परिवादी श्री मोहित पटेल ने अपने मोबाईल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस्ड कॉल करके आरोपी श्री अभय धाकड द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत् पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री रईस मोहम्मद एवं श्री अजिम अहमद व ब्यूरो जाप्ता को वाहन में ही मूकिम रहने हेतु पाबंद कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री असलम मोहम्मद व श्री मणीलाल यादव एवं श्री दिनेश सुखवाल पुलिस उप अधीक्षक, ब्यूरो जाप्ता ब्यूरो जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि. एवं श्री राजेश कुमार कानि., श्री महेश चन्द्र कानि., श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक के होटल माही के अन्दर प्रवेश किया तो प्रथम तल पर जाने वाली सीढीयों के पास गैलेरी में परिवादी श्री मोहित पटेल उपस्थित मिला परिवादी से टेप रिकोर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि श्री अभय धाकड अधिशाषी अभियंता कमरा नम्बर 111 में है और उनके द्वारा रिश्वत राशि का लिफाफा अपने हाथों से लेकर लिफाफे को खोलकर राशि को चैक करके राशि वाले लिफाफे को पहने हुए पेन्ट की बांयी जैब में रख लिये है। जिस पर परिवादी को हमराह लेकर कमरा नम्बर 111 के गेट को खटखटाया गया तो एक व्यक्ति ने अन्दर से गेट को खोला गया तो परिवादी ने बताया कि यही श्री अभय धाकड अधिशाषी अभियंता है जिन्होने अभी-अभी मेरे से होटल के कमरे के अन्दर रिश्वत राशि 45000 रुपये का लिफाफा अपने हाथों से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जैब में रख लिये है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना स्वयं का व हमराहियानों का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उस व्यक्ति से नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम अभय धाकड़ पिता श्री रंगलाल धाकड उम्र 58 वर्ष जाति जैन निवासी 9 न्यु अशोक नगर थाना सुखेर जिला उदयपुर हाल अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू-सरक्षण विभाग कुशलगढ़ जिला बांसवाडा होना बताया। आरोपी श्री अभय धाकड से अभी-अभी परिवादी से रिश्वत राशि 45000 रुपये किस बात के ग्रहण किये है तो आरोपी श्री अभय धाकड ने बताया कि श्री मोहित पटेल जबरजस्ती ये रुपयों का लिफाफा दे गया है जो मैने अपने हाथ से ग्रहण कर पहनी हुई पेन्ट की बांयी जैब में रख लिया है। जिस पर मौके पर परिवादी ने कहा कि अधिशाषी अभियंता धाकड़ साहब झूठ बोल रहे है मेरे द्वारा ग्राम पंचायत सरोना के ग्राम सरोना व गोकुलपाडा में वर्ष 2020-21 मे जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के माध्यम से दो एनीकट का निर्माण मेरी फर्म संतोष इन्टरप्राईजेज द्वारा किया गया उक्त दोनो एनीकट निर्माण हेतु जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग बांसवाडा द्वारा 24 लाख का वर्क ऑर्डर जारी किया गया। उक्त कार्य मैने 20.05 प्रतिशत बिलो में लिया था। उक्त एनीकट निर्माण पेटे 15,06,000 रुपये का भुगतान आज से करीब पांच दिन पूर्व मेरी फर्म के बैंक खाते में प्राप्त हो चुका है। इस कार्य पेटे

विभाग में फर्म के 3,24,000 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा थी। एनीकट के भुगतान करने एवं जमा सिक्योरिटी राशि रिलीज करने के लिये कमीशन की मांग करते हुए मुझसे रिश्वत राशि 45000 रुपये मांग कर ग्रहण कर पहनी हुई पेन्ट की बांयी जैब में रख लिये है। इस पर आरोपी अभय धाकड़ कुछ नही बोला चुप हो गया। इसके बाद आरोपी श्री अभय धाकड के पहने हुए पेन्ट की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री असलम मोहम्मद से लिवाई गई तो पेन्ट की बांयी जैब से एक सफेद रंग का लिफाफा बरामद हुआ को गवाह श्री असलम से खुलवाया गया तो उसके अन्दर से 500–500 के नोट बरामद हुए। उक्त नोटो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहनों से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोट हुबहू फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के पाये गये। उक्त 500–500 रुपये के 90 नोट कुल 45000 रुपये बरामद हुए। रिश्वत राशि 45000 रुपये व लिफाफा स्वतंत्र गवाह श्री असलम मोहम्मद को संभलवाया गया। दर्ज रहे कि परिवादी श्री मोहित पटेल से आरोपी श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग की गई है। ट्रेप कार्यवाही बांसवाडा शहर के न्यु बस स्टेण्ड के सामने होटल माही में आरोपी श्री अभय धाकड़ के विरुद्ध की गई है होटल में अन्य व्यक्तियों की भीड़भाड़ है ऐसी स्थिति में आरोपी श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने की संभावना को देखते हुए आरोपी श्री अभय धाकड को श्री दिनेश सुखवाल पुलिस उप अधीक्षक को सुपूर्द कर दोनो स्वतंत्र गवाहानों को भी आरोपी श्री अभय धाकड के पास छोड़ते हुए सुरक्षा की दृष्टि से ब्यूरो जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि. एवं श्री राजेश कुमार कानि., श्री महेश चन्द्र कानि., श्री जितेन्द्र सिंह कानि. चालक को छोड़ा गया। समय 11.55 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक, दो स्वतंत्र गवाह श्री रईस मोहम्मद व श्री अजिम अहमद व ब्यूरो जाप्ता श्री करणसिंह हैड कानि, श्री टीकाराम कानि., श्री सुरेश कानि. व श्री पंकज कुमार कानि. व परिवादी श्री मोहित पटेल को हमराह लेकर होटल माही से प्राईवेट वाहन एवं प्राईवेट कार व परिवादी की निजी मोटर साईकल से रवाना होकर जिला कलक्ट्रेट बांसवाडा परिसर में पहूंचा। कलक्ट्रेट परिसर में स्थित कार्यालय अधीक्षण अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भूं संरक्षण विभाग बांसवाडा के लिये परिवादी मोहित पटेल को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर देकर मुनासिब हिदायत के श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता को रिश्वत राशि देने हेतु रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान उक्त कार्यालय के आसपास अपनी–अपनी उपस्थित छुपाकर मूकिम रहे। करीब 15 मिनट बाद उक्त कार्यालय से परिवादी मोहित पटेल व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति वार्तालाप करते हुए बाहर आकर एक कार नम्बर आरजे–03–सीए–5543 स्फिट (बरंग ग्रे) के पास पहूंचे इसी दौरान परिवादी ने गोपनीय तरीके से उस व्यक्ति की तरफ आरोपी श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता होने बाबत ईशारा करते हुए उस व्यक्ति के साथ परिवादी कार में बैठ गया और वह व्यक्ति कार स्टार्ट कर परिवादी को हमराह लेकर कार्यालय जिला कलक्ट्रेट परिसर बांसवाडा से राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा चौराये की तरफ रवाना होकर शहर बांसवाडा के लिये रवाना हुआ जिसके पीछे–पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री अजिम अहमद व श्री रईस मोहम्मद व ब्यूरो जाप्ते के प्राईवेट व कार में रवाना हुए। उक्त कार रिजर्व पुलिस लाईन बांसवाडा के मुख्य गेट के सामने रुक गई। समय 12.33 पीएम पर परिवादी श्री मोहित पटेल ने अपने मोबाईल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत मिस्ड कॉल कर पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाप्ते के अपने अपने वाहनों में उक्त कार नम्बर आरजे–03–सीए–5543 के पास पहूंचे और कार को रोड़ के साईड में खड़ा करवाया गया। परिवादी श्री मोहित पटेल ने कार से उतरने पर परिवादी से टेप रिकोर्डर प्राप्त बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि यही श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता है जिनके द्वारा रिश्वत राशि कलक्ट्रेट परिसर बांसवाडा में स्थित उनके कार्यालय में ग्रहण नही कर रिश्वत मांग सत्यापन अनुसार सावधानी बरतते हुए मुझे इनकी कार में बैठाकर यहां पुलिस लाईन तक लाकर रिश्वत राशि इन्होंने अपने हाथों से नही ग्रहण कर कार के गियर के पास डेस्क बोर्ड में रखवाये गये है जो मैने इनके कहे अनुसार रिश्वत राशि 45000 रुपये लिफाफे में ही डेस्क बोर्ड के अन्दर रख दिये है जो वहीं रखे हुए है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना स्वंय एवं हमराहियानों का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उस व्यक्ति से नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र श्री बन्धु विश्वकर्मा जाति विश्वकर्मा निवासी बाहुबली कोलोनी आदिनाथ नगर रोड नम्बर 2 बांसवाडा हाल सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भूं–सरक्षण विभाग कुशलगढ़ जिला बांसवाडा होना बताया। स्वतंत्र गवाह श्री रईस मोहम्मद से कार के डेस्क बोर्ड की तलाशी लिवाई गई तो गियर के पास डेस्क बोर्ड में एक सफेद लिफाफा बरामद हुआ जिसे गवाह श्री रईस मोहम्मद से खुलवाया गया तो लिफाफे में 500–500 रुपये के नोट बरामद हुए उक्त नोटो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहनों से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोट हुबहू फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के पाये गये। उक्त 500–500 रुपये के 90 नोट कुल 45000 रुपये बरामद हुए। उक्त रिश्वत राशि 45000 रुपये व लिफाफे को गवाह श्री रईस मोहम्मद को सुरक्षित संभलवाया गया। ट्रेप कार्यवाही का घटना क्रम शहर बांसवाडा के रिजर्व पुलिस लाईन बांसवाडा के मुख्य दाहोद–बांसवाडा सड़क पर होने से ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही से मौके पर वाहनों तथा लोगो की भीड़भाड़ हो जाने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव होने से समय 01.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री रईस मोहम्मद व श्री अजिम अहमद, आरोपी श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा व ब्यूरो जाप्ता श्री करणसिंह हैड कानि., श्री टीकाराम कानि., श्री पंकज कुमार कानि., श्री सुरेश कानि. तथा परिवादी श्री मोहित पटेल के जरिये प्राईवेट वाहन व प्राईवेट

hf

कार तथा आरोपी गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा सहायक अभियंता की कार से मौके से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 01.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री रईस मोहम्मद व श्री अजिम अहमद, आरोपी श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा व ब्यूरो जाप्ता श्री करणसिंह हैड कानि., श्री टीकाराम कानि., श्री पंकज कुमार कानि., श्री सुरेश कानि. तथा परिवादी श्री मोहित पटेल के जरिये प्राईवेट वाहन व प्राईवेट कार तथा आरोपी गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा सहायक अभियंता की कार से मौके से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा। आरोपी श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा सहायक अभियंता को परिवादी श्री मोहित पटेल से 45000 रुपये रिश्वत राशि मांगकर किस बात की ग्रहण की है तो आरोपी ने कहा कि मैने मोहित पटेल से कोई रिश्वत की मांग नही की गई है और मोहित पटेल द्वारा हमारे विभाग में ग्राम पंचायत सरोना के ग्राम सरोना व गोकुलपाडा में वित्तीय वर्ष 2020--21 में दो एनीकट का निर्माण कार्य इनकी फर्म द्वारा किया गया था जिनका भुगतान भी कुछ दिन पहले करीब 15 लाख का किया जा चुका है और श्री मोहित पटेल की सिक्योरिटी राशि विभाग के पास जमा है। श्री मोहित पटेल द्वारा स्वेच्छा से मेरी कार के गियर के पास डेस्क बोर्ड में रुपयों का लिफाफा रख दिया है मैने कभी मोहित से रिश्वत राशि की मांग नही की है। मौके पर परिवादी मोहित पटेल ने कहा कि सहायक अभियंता विश्वकर्मा जी झूठ बोल रहे है मैने रिश्वत राशि 45000 रुपये उनकी मांग एवं इनके कहेनुसार कार के डेस्क बोर्ड में रख दिये है उक्त वार्तालाप को भी टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड कर लिया है। श्री विश्वकर्मा जी द्वारा रिश्वत राशि 45000 रुपये भी बड़ी सावधानी बरतते हुए कार्यालय में ग्रहण नही कर मुझे इनकी कार में बैठाकर पुलिस लाईन तक ले जाकर अपने हाथों से ग्रहण नही कर कार के डेस्क बोर्ड में रखवाये थे तथा कल दिनांक 28.06.2022 को भी रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान भी कार्यालय में वार्तालाप नही कर कार में बैठाकर महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा के सामने होते हुए मोहन कोलोनी चौराया के पास पीछे वाले कलक्ट्री गेट से अन्दर लेकर कार में बैठकर वार्तालाप की थी। जिस पर आरोपी श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता एकदम चुप हो गये और कहा कि साहब मदद करो। रिश्वत राशि आरोपी श्री विश्वकर्मा द्वारा अपने हाथों से ग्रहण नही कर रिश्वत राशि के लिफाफे को अपनी कार के गियर के पास डेस्क बोर्ड में रखवाये गये। डेस्क बोर्ड में गियर के पास बने खंड में पडी एक चैक बुक एसबीआई बैंक शाखा पी.बी.बी शाहपुरा ई 3/116 अरेरा कोलोनी तहसील हुजुर ब्लॉक फंदा भोपाल(मध्य प्रदेश) खाता संख्या 39580970331 खाता धारक श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा बाहुबली कोलोनी बांसवाडा के उपर बरामद हुई थी, जिसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह श्री अजिम अहमद व श्री रईस मोहम्मद के समक्ष ट्रेप बॉक्स में रखे एक कांच के साफ गिलास को निकालकर उसमें कार्यालय में पीने वाले साफ पानी भरकर उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डाला गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक साफ रुई के टुकड़े को साफ पानी में भिगोकर रुई को चैक बुक के उपर व डेस्क बोर्ड के खंड में घुमाया जाकर उक्त रुई को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डाला गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। उक्त घोल को दो कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचीट किया जाकर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा शिशियों पर मार्क कमशः सी--1 व सी--2 अंकित किया गया। रुई के टुकड़े को नष्ट किया गया। रिश्वत राशि 45000 रुपये को एक कागज की चीट लगाकर सीलचीट कर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा सफेद लिफाफे एवं चैक बुक पर संबधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर लिफाफे एवं चैक बुक को एक कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर थैली पर कागज की चीट लगाकर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। आरोपी श्री विश्वकर्मा ने पूछताछ पर कार नम्बर आरजे-03--सीए--5543 स्वीफ्ट स्वंय के नाम होना बताया जिसे पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जायेगा। परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि की मांग रागिनी लिपिक द्वारा स्वंय के लिये एवं अन्य लिपिक व लेखाधिकारी के लिये दिनांक 28.06.2022 को मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि हेतु खुलकर बात नही की गई है परन्तु अभी रिश्वत राशि रागिनी लिपिक को देने पर वह वार्तालाप कर ग्रहण कर लेगी। जिस पर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक को आरोपी श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा को सुपूर्द करते हुए सुरक्षा के लिये श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. एवं श्री पंकज कानि. को मामूर किया गया। समय 02.05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री रईस मोहम्मद व श्री अजिम अहमद एवं ब्यूरो जाप्ता श्री करणसिंह हैड कानि., श्री टीकाराम कानि.श्री सुरेश कानि एवं महिला कानि. श्रीमती पुनम के जरिये प्राईवेट वाहन व प्राईवेट कार से एवं परिवादी श्री मोहित पटेल को उसकी निजी मोटर साईकल से ब्यूरो इकाई बांसवाडा से कलक्ट्रेट परिसर बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 02.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा कलक्ट्रेट परिसर बांसवाडा पहूंचकर परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द कर मुनासिब हिदायत के कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग बांसवाडा के लिये रवाना कर कार्यालय के आसपास मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मूकिम रहे। करीब 10 मिनट बाद परिवादी कार्यालय से बाहर आकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर टेप रिकोर्डर पेश करने पर बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया और परिवादी ने बताया कि रागिनी लिपिक कार्यालय में उपस्थित है परन्तु उसके द्वारा मुझसे कोई बात नही कर बाथरुम में चली गई और मुझे लगता है रागिनी लिपिक को कोई शंका हो गयी है। कार्यालय में अधीक्षण अभियन्ता श्री व्यास उनके कक्ष में बैठे हुए थे जिस पर मैं अपने स्तर पर जाकर मिला और उनके हिस्से की 1 प्रतिशत रिश्वत राशि श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता को देना बताया तो उन्होने श्री विश्वकर्मा से ही मिलने का कहा तथा और कोई बात रिश्वत बाबत नही की। मैं उनके कार्यालय कक्ष से बाहर निकल गया। प्रकरण में रागिनी लिपिक ने रिश्वत राशि ग्रहण नही की तथा न ही इस बाबत बात की एवं अधीक्षण अभियंता श्री व्यास द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि बाबत् विश्वकर्मा से बात

करने का कहा है। समय 02.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाह श्री रईस मोहम्मद व श्री अजिम अहमद व ब्यूरो जाप्ता को ब्यूरो इकाई बांसवाडा रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी श्री मोहित पटेल एवं श्री सुरेश कानि प्राईवेट कार से जिला कलक्ट्रेट परिसर बांसवाडा से माही होटल न्यु बस स्टेण्ड बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 02.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री मोहित पटेल एवं श्री सुरेश कानि प्राईवेट कार से जिला कलक्ट्रेट परिसर बांसवाडा से रवाना शुदा माही होटल न्यु बस स्टेण्ड बांसवाडा पहूंचा जहां पर श्री दिनेश सुखवाल पुलिस उप अधीक्षक, ब्यूरो जाप्ता व आरोपी श्री अभय धाकड मौजूद मिले। प्रकिया अनुसार ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ कांच के गिलासों में होटल से पीने वाले साफ पानी को भरवाया जाकर उन दोनों कांच के गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा तथा दोनो गवाह श्री असलम मोहम्मद व मणीलाल यादव ने भी घोल का रंग अपरिवर्तित बताया। एक रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी अभय धाकड के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी अभय धाकड़ के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग भी हल्का गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि 45000 रुपये का लिफाफा आरोपी श्री अभय धाकड द्वारा अपने हाथो से ग्रहण कर पहनी हुई पेन्ट की बांयी जैब में रखा गया था जो दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद की गई है। आरोपी अभय धाकड के पहने हुए पेन्ट को ससम्मान उतरवा कर होटल में कमरे रखे अन्य पेन्ट को पहनाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार कराया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। बरामद रिश्वत राशि बांयी जैब को उलटवाकर कर तैयार सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर सीलचीट कर चीट पर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। पेन्ट की जैब को सुखाकर जैब पर संबधितो के हस्ताक्षर कर करवाये गये। एक सफेद कपड़े की थैली में पेन्ट बरंग हल्का खाकी को रखकर थैली पर एक कागज की चीट लगाकर मार्क–पी अंकित किया जाकर संबधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर थैली को सीलचीट किया गया। रिश्वत राशि 45000 रुपये को एक कागज की चीट लगाकर सीलचीट कर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा सफेद लिफाफे पर संबधितो के हस्ताक्षर कराकर लिफाफे को एक कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर थैली पर कागज की चीट लगाकर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। आरोपी श्री अभय धाकड के होटल माही में कमरा नम्बर 111 की तलाशी ली गई तो उक्त कमरे में कोई संदिग्ध राशि या मूल्यवान दस्तावेज बरामद नही हुए न ही कब्जे ब्यूरो लिये गये। समय 03.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री दिनेश सुखवाल पुलिस उप अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री असलम मोहम्मद व श्री मणीलाल यादव, परिवादी श्री मोहित पटेल, आरोपी श्री अभय धाकड अधिशाषी अभियंता व ब्यूरो जाप्ता व जप्त शुदा रिश्वत राशि 45000 रुपये, आरोपी के दोनो हाथों का धोवन, पेन्ट की जैब का धोवन व पेन्ट पैकेट, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के जरिये प्राईवेट कार एवं प्राईवेट वाहन में होटल माही से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 03.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों व जप्त शुदा रिश्वत राशि व जप्त शुदा सामग्री के ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा। जहां पर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक व आरोपी श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा सहायक अभियंता व ब्यूरो जाप्ता उपस्थित मिला। आरोपी श्री अभय धाकड अधिशाषी अभियंता जो 9 न्यु अशोक नगर थाना सुखेर जिला उदयपुर का रहने वाला है जिसके नियमानुसार रिहायशी मकान की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को जरिये दूरभाष हालात अर्ज किये गये तथा आरोपी श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा सहायक अभियंता शहर बांसवाडा में बाहुबली कोलोनी का रहने वाला है। आरोपी श्री विश्वकर्मा के रिहायशी मकान की खाना तलाशी हेतु श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक को निर्देशित किया गया। जिस पर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक, श्री दिनेश सुखवाल पुलिस उप अधीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री रईस मोहम्मद एवं श्री अजिम अहमद व ब्यूरो जाप्ता व तलबिदा महिला कानि. श्रीमती दुर्गा के आरोपी श्री विश्वकर्मा के रिहायशी मकान की खाना तलाशी हेतु रवाना हुए। समय 03.30 पीएम पर फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व हाथ धुलाई आरोपी श्री अभय धाकड अधिशाषी अभियंता एवं श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग कुशलगढ़ जिला बांसवाडा मूर्तिब की गई। समय 05.30 पीएम पर श्री हेरम्ब जोशी व श्री दिनेश सुखवाल पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री रईस मोहम्मद एवं श्री अजिम अहमद व ब्यूरो जाप्ता के आरोपी श्री विश्वकर्मा सहायक अभियंता के रिहायशी मकान बाहुबली कोलोनी बांसवाडा की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मूर्तिब कर फर्द खाना तलाशी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की गई जिसे शामील कार्यवाही की गई। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व हाथ धुलाई आरोपी श्री अभय धाकड अधिशाषी अभियंता एवं श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग कुशलगढ जिला बांसवाडा पर संबधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर फर्द शामील कार्यवाही की गई। संदिग्ध श्री सुधीन्द्र शेखर व्यास एवं रागिनी लिपिक की ट्रेप कार्यवाही में पुछताछ के लिये तलब एवं तलाश हेतु श्री जितेन्द्रसिंह कानि चालक., श्री गणेश प्रसाद हैड कानि एवं श्रीमती दुर्गा महिला कानि. को ब्यूरो इकाई बांसवाडा से संबधित के कार्यलय व निवास के लिये रवाना किया गया। समय 05.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, चारो स्वतंत्र गवाह, आरोपी श्री अभय धाकड, आरोपी श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा,

परिवादी श्री मोहित पटेल व ब्यूरो जाप्ता के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से घटना स्थल माही होटल बांसवाडा के लिये प्राईवेट वाहन व कार में रवाना हुआ। समय 05.45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा माही होटल पहूंच कर परिवादी श्री मोहित पटेल व आरोपी श्री अभय धाकड की निशांदेही पर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर शामील कार्यवाही किया गया। समय 6.00 पीएम पर माही होटल बांसवाडा से घटना स्थल रिजर्व पुलिस लाईन बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 06.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के माही होटल बांसवाडा से रवाना शुदा रिजर्व पुलिस लाईन बांसवाडा के मुख्य गेट के सामने दाहोद–बांसवाडा रोड़ पहूंचा। परिवादी श्री मोहित पटेल व आरोपी श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा की निशांदेही पर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर शामील कार्यवाही किया गया। समय 06.30 पीएम पर पुलिस लाईन बांसवाडा से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 06.45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के रिजर्व पुलिस लाईन बांसवाडा से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा। समय 07.00 पीएम पर आरोपी श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग कुशलगढ़ जिला बांसवाडा द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथो से नही ग्रहण कर परिवादी से अपनी निजी कार नम्बर आरजे–03–सीए–5543 के गियर के पास डेक्स बोर्ड में 45000 रुपये रिश्वत राशि का लिफाफा रखवाया गया था, जो कार्यवाही के दौरान बरामद हुए थे। उक्त कार को वजह सबूत जप्त करना आवश्यक होने से फर्द जप्ती कार पृथक से मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। संदिग्ध श्री सुधीन्द्र शेखर व्यास एवं रागिनी लिपिक की ट्रेप कार्यवाही में पुछताछ के लिये तलब एवं तलाश हेतु रवाना शुदा श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक, श्री गणेश प्रसाद हैड कानि एवं श्रीमती दुर्गा महिला कानि. हाजीर ब्यूरो इकाई बांसवाडा आये। श्री गणेश प्रसाद हैड कानि ने बताया कि संदिग्ध श्री व्यास व रागिनी की उनके कार्यालय व निवास स्थानों पर जानकारी प्राप्त की गई तो दोनो अपने सकूनत से रुहपोश है। समय 07.15 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 29.06.2022 को आरोपी श्री अभय धाकड अधिशाषी अभियंता व परिवादी श्री मोहित पटेल के बीच हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता एवं दिनांक 29.06.2022 को आरोपी श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा सहायक अभियंता तथा परिवादी श्री मोहित पटेल के बीच हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता एवं दिनांक 29.06.2022 को परिवादी श्री मोहित पटेल व संदिग्ध सुधीन्द्र व्यास अधीक्षण अभियंता व रागिनी लिपिक के बीच हुई वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। डिजीटल टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर उपरोक्त मौतबिरान तथा परिवादी को सुनाई गई व इनके रूबरू इस वार्ता की श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को उसके कवर मे रखकर पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। डब सीडी को सीडी के कवर में सुरक्षित रखा गया। प्रकरण में ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आरोपीगण श्री अभय धाकड व श्री विश्वकर्मा का नियमानुसार आवाज का नमूना माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। समय 09.00 पीएम पर आरोपी श्री अभय धाकड अधिशाषी अभियंता कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग कुशलगढ़ जिला बांसवाडा को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 व 120 बी भादस से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.15 पीएम पर आरोपी श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग कुशलगढ़ जिला बांसवाडा को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 व 120 बी भादस से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.30 पीएम पर परिवादी श्री मोहित पटेल ने संदिग्ध रागिनी लिपिक व अन्य को दी जाने वाली रिश्वत राशि 22,500 रुपये को रागिनी लिपिक द्वारा ग्रहण नही कर परिवादी से खुलकर रिश्वत मांग नही की गई है। परिवादी श्री मोहित पटेल द्वारा रिश्वत राशि 22,500 रुपये मय लिफाफा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। जिस पर लिफाफे में रखी राशि 22,500 रुपये परिवादी को स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष लौटाते हुए लिफाफे को नष्ट किया गया। प्रकरण में संदिग्ध श्री सुधीन्द्र शेखर व्यास अधीक्षण अभियंता एवं रागिनी लिपिक व अन्य की इस ट्रेप कार्यवाही के प्रकरण में रिश्वत मांग व ग्रहण बाबत् संलिप्तता व भुमिका प्रकरण के अनुसंधान के दौरान स्पष्ट होगी। परिवादी श्री मोहित पटेल के फर्म से संबधित रिकोर्ड आईन्दा प्राप्त कर शामील पत्रावली किया जायेगा। समय 10.15 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान प्रकरण जप्त शुदा रिश्वत राशि 45000 रुपये व लिफाफा आरोपी श्री अभय धाकड, आरोपी अभय धाकड के दोनो हाथों का धोवन मार्क आरएच–1, आरएच–2, एलएच–1, एलएच–2, बरामद रिश्वत राशि पेन्ट की बांयी जैब का धोवन की शिशियां मार्क पी–1 व पी–1, जप्त शुदा पेन्ट पैकेट, आरोपी श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा की कार से बरामद रिश्वत राशि 45000 रुपये मय लिफाफा, जप्त शुदा कार आरजे–03–सीए–5543, बरामद रिश्वत राशि कार के डेक्स बोर्ड का धोवन की शिशियां मार्क सी–1 व सी–2, प्रकरण में रिकोर्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव के सीलचीट शुदा पैकेट, डब सीडीयां इत्यादि श्री राजेश कुमार कानि को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कराया जाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। समय 10.45 पीएम पर आरोपीगण श्री

M

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं में आरोपीगण 1. श्री अभय धाकड़, अधिशाषी अभियंता, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा एवं 2. श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा, सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 264/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2319-23 दिनांक 30.6.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, पंत कृषि भवन, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

30.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

अभय धाकड व श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा का मेडिकल ज्युरिस्ट से स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा तहरिर जारी कर श्री गणेश प्रसाद हैड कानि0, श्री महेशचन्द्र कानि. मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिह को मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना किया गया। समय 11.15 पीएम पर श्री गणेश प्रसाद हैड कानि0, श्री महेशचन्द्र कानि. एवं आरोपीगण श्री अभय धाकड व श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये। श्री गणेशप्रसाद हैड कानि द्वारा आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की जिसे शामील कार्यवाही किया गया।

दिनांक 30.06.2022 समय 01.00 एएम पर आरोपीगण श्री अभय धाकड व श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा पूछताछ की गई तो ट्रेप कार्यवाही के दौरान बताये गये तथ्यों के अलावा अन्य कोई नये तथ्य नही बताये गये। आरोपीगण श्री अभय धाकड व श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली में जमा कराने तहरिर जारी कर श्री गणेश प्रसाद हैड कानि0, श्री महेशचन्द्र कानि. मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह को मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 01.40 एएम पर श्री गणेश प्रसाद हैड कानि0, श्री महेशचन्द्र कानि., श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक मय सरकारी बोलेरो के ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आये। श्री गणेश प्रसाद हैड कानि0, ने आरोपीगण श्री अभय धाकड व श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा को पुलिस थाना कोतवाली में जमा रसीद मय रोजनामचा आम रपट पेश की जिसे शामील पत्रावली किया गया। प्रकरण आरोपीगण श्री अभय धाकड व श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा से प्राप्त कर आरोपीगण श्री अभय धाकड व श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय् के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन, मोबाईल वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द रिश्वत लेन–देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि परिवादी श्री मोहित पटेल की फर्म संतोष इन्टर प्राईजेज छोटी सरवा जिला बांसवाडा के नाम से वित्तीय वर्ष 2020–21 में ग्राम पंचायत सरोना के ग्राम सरोना व गोकुलपाडा पंचायत समिति कुशलगढ़ जिला बांसवाडा में दो एनीकट हेतु कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग बांसवाडा द्वारा 24 लाख का वर्क ऑर्डर जारी किया गया। परिवादी ने उक्त कार्य 20.05 प्रतिशत बिलों पर लिया जाकर परिवादी को विभाग द्वारा उक्त एनीकट निर्माण पेटे विभाग द्वारा परिवादी की फर्म को 15,06,000 रुपये का भुगतान आज से करीब पांच दिन पूर्व किया गया तथा परिवादी की उक्त कार्य पेटे विभाग में 3,24,000 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा पड़ी है। दिनांक 28.06.2022 को नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया तो परिवादी के उक्त भुगतान एवं सिक्योरिटी राशि रिलीज करने के एवज में आरोपी श्री अभय धाकड अधिशाषी अभियंता द्वारा परिवादी से 3 प्रतिशत राशि 45000 रुपये एवं आरोपी श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा सहायक अभियंता द्वारा परिवादी से स्वंय के लिये 2 प्रतिशत 30000 रुपये एवं अधीक्षण अभियंता के लिये 1 प्रतिशत 15000 रुपये कुल 3 प्रतिशत 45000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। आरोपीगण श्री अभय धाकड को परिवादी से 45000 रुपये एवं श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा को परिवादी से 45000 रुपये कुल 90,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए दोनो आरोपीगण को दिनांक 29.06.2022 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपीगण श्री अभय धाकड व श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 व 120 बी भादस का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

प्रकरण में संदिग्ध श्री सुधीन्द्र शेखर व्यास अधीक्षण अभियंता एवं रागिनी लिपिक व अन्य की इस ट्रेप कार्यवाही के प्रकरण में रिश्वत मांग व ग्रहण बाबत् संलिप्तता व भुमिका प्रकरण के अनुसंधान के दौरान स्पष्ट होगी।

अतः आरोपीगण श्री अभय धाकड़ पिता श्री रंगलाल धाकड उम्र 58 वर्ष जाति जैन निवासी 9 न्यु अशोक नगर थाना सुखेर जिला उदयपुर हाल अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू–सरक्षण विभाग कुशलगढ़ जिला बांसवाडा एवं श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा पिता श्री बन्धु विश्वकर्मा उम्र 59 वर्ष जाति विश्वकर्मा निवासी बाहुबली कोलोनी आदिनाथ नगर रोड़ नम्बर 2 बांसवाडा हाल सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भूं–सरक्षण विभाग कुशलगढ़ जिला बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 व 120 बी भादस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।

भवदीय,

(माधोसिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं में आरोपीगण 1. श्री अभय धाकड़, अधिशाषी अभियंता, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा एवं 2. श्री गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा, सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 264/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2319-23 दिनांक 30.6.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, पंत कृषि भवन, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

30.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।